पुलिस निरीक्षक बनाम के माध्यम से बताएँ।

लाली @मणिकंदन और एक और ई. टी. सी. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1750-1751) 14 अक्टूबर, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता-एस. एस.302 & 34 – एकमात्र चश्मदीद गवाह के अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-प्रत्यर्थियों-तीन अभियुक्तों पर पीड़ित-मृतक की हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया था-प्रत्यर्थियों को धारा 302 आर/डब्ल्यू के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था।34 निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी.-तथापि, उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू. 1 की गवाही को विश्वसनीय नहीं पाया और अभियुक्त को बरी कर दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया:न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयबन्यायालयन्यायालयलन्यायालयून्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयदन्यायालयोन्यायालयनन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयसन्यायालयन्यायालयथन्यायालयान्यायालयनन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय न्यायालयघन्यायालयटन्यायालयनन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयचन्यायालयशन्यायालयन्यायालयमन्यायालयदन्यायालयीन्यायालयदन्यायालय न्यायालयगन्यायालयवन्यायालयान्यायालयहन्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय न्यायालयअन्यायालयरन्यायालयन्यायालयथन्यायालयान्यायालयतन्यायालय न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयलन्यायालयान्यायालय न्यायालयभन्यायालयान्यायालयगन्यायालय न्यायालयउन्यायालयसन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय न्यायालयजन्यायालयबन्यायालय न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालय़न्यायालयिन्यायालयतन्यायालय,न्यायालय न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयबन्यायालयन्यायालयलन्यायालयून्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयन्यायालययन्यायालय न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालययन्यायालयान्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयरन्यायालयहन्यायालयेन्यायालय न्यायालयथन्यायालयेन्यायालय,न्यायालय न्यायालयजन्यायालयहन्यायालयान्यायालयंन्यायालय

न्यायालयएन्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालय़न्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयान्यायालयहन्यायालयिन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयंन्यायालयधन्यायालयेन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयोन्यायालयटन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयुन्यायालयंन्यायालयचन्यायालयान्यायालयईन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयदन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयून्यायालयसन्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयभन्यायालयान्यायालयगन्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयबन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालय़न्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयान्यायालयगन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयशन्यायालयिन्यायालयशन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयरन्यायालयहन्यायालयान्यायालय
न्यायालयथन्यायालयान्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय न्यायालयशन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयुन्यायालयंन्यायालयचन्यायालय
न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयीन्यायालयनन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयपन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयशन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयघन्यायालयुन्यायालयसन्यायालय न्यायालयगन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालय़न्यायालयिन्यायालयतन्यायालय-
न्यायालयमन्यायालयृन्यायालयतन्यायालयकन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयोन्यायालयटन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयुन्यायालयंन्यायालयचन्यायालयान्यायालयईन्यायालय-
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयबन्यायालयन्यायालयलन्यायालयून्यायालय 1 न्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयपन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयओन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयरन्यायालयहन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयजन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयहन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयईन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयहन्यायालय न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
अभिसाक्ष्यन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालययन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयहन्यायालयान्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयोन्यायालयजन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयान्यायालयमन्यायालयलन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयरन्यायालयहन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयमन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालय-
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयलन्यायालयून्यायालय 1 न्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयशन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयसन्यायालयनन्यायालयीन्यायाल
ययन्यायालयतन्यायालयान्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयशन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयान्यायालयसन्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय/न्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयदन्यायालयेन्यायालयहन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालयणन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय-
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयइन्यायालयसन्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय न्यायालयमन्यायालयून्यायालयलन्यायालय
न्यायालयशन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयान्यायालययन्यायालयतन्यायालयकन्यायालयरन्यायाा
लय्न्यायालयतन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालयंन्यायालयचन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयईन्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय अभिसाक्ष्यन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय अपास्त करनान्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयआन्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालय

न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयहन्यायालयोन्यायालय न्यायालयसन्यायालयकन्यायालयतन्यायालयान्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय। न्यायालय

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

633 ए.

634 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** पीडब्लू**1** के अभिसाक्ष्य के अवलोकन पर, यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू**1** दोनों स्थानों पर घटना का चश्मदीद गवाह है।जब पहली बार, आरोपी ने उस समय हमला किया जब मृतक कार में यात्रा कर रहा था, तो पीडब्लू**1** कार में मौजूद था।उस समय, आरोपी ने कार को टक्कर मार दी और विंड स्क्रीन तोड़ दी और ए **1** ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुंचाई।इसके बाद मृतक ने भागने की कोशिश की और वह शेड में पहुंच गया और उस समय सभी आरोपी मृतक का पीछा करने लगे, शेड में चले गए, मृतक को घायल कर दिया और फिर शेड से बाहर आ गए और भाग गए।पीडब्लू**1** ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने तीनों अभियुक्तों को शेड में प्रवेश करते देखा था और उसके बाद वे बाहर आ गए और मृतक चोटों के साथ लेटा हुआ था और वह मृत पाया गया।अभियुक्त की ओर से पीडब्लू**1** से पूरी तरह से जिरह की गई है।हालाँकि, पूरी तरह से जिरह के बाद भी, पीडब्लू**1** ने जो कहा है, उस पर कायम रहा और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।पीडब्लू**1** की विश्वसनीयता पर अविश्वास करने और/या संदेह करने का कोई कारण नहीं है।**[**पैरा **6] [640-**डी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

2. अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि मूल सूचना देने वाले से पूछताछ नहीं की गई है और अन्य स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है और हथियार की बरामदगी साबित नहीं हुई है और घटना के समय और स्थान के बारे में गंभीर संदेह है, अभियुक्तों को बरी नहीं किया जा सकता है।केवल इसलिए कि मूल शिकायतकर्ता से पूछताछ नहीं की गई है, पीडब्लू**1** के अभिसाक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, पीडब्लू**1** दोनों स्थानों पर हुई घटना का चश्मदीद गवाह है।इसी तरह, यह मानते हुए कि उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी स्थापित या साबित नहीं हुई है, अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है जब चश्मदीद गवाह का सीधा सबूत हो।अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है।यदि चश्मदीद गवाह के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य है, तो हथियार की बरामदगी के अभाव में भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।इसी तरह, एफ. आई. आर./शिकायत दर्ज करने के समय के संबंध में कुछ विरोधाभासों के मामले में भी अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है, जब अभियोजन पक्ष का मामला चश्मदीद गवाह के अभिसाक्ष्य पर आधारित हो।जैसा कि देखा गया है, पीडब्लू**1** एक चश्मदीद गवाह है।उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।कानून की तय स्थिति के अनुसार, एक ए हो सकता है

ई.

एफ.

जी.

एच.

635

पुलिस निरीक्षक बनाम लाली @मणिकंदन और एक अन्य ई. टी. सी. के माध्यम से बताएँ।

एकमात्र चश्मदीद गवाह के अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि, यदि उक्त गवाह विश्वसनीय और/या विश्वसनीय पाया जाता है।पीडब्लू**1** की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।इसलिए, पीडब्लू**1** के अभिसाक्ष्य के एकमात्र आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित होगा।**[**पारस **7** और **8] [640-**जी-एच**; 641-**ए-डी**]**

कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य **(2002) 6** एससीसी **81:[2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1;** कुंजू मुहम्मद बनाम केरल राज्य**,**

बी.

(2004) 9 एससीसी **193:2003 (7)** जे**.** टी**. 114-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2002] 3 एससीआर **1**

पैरा **3.4** में संदर्भित

सी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1750-1751।

सी. आर. एल. में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 12.06.2018 के निर्णय और आदेश से। ए. (एम. डी.) 2017 की संख्या 270 और 362।डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डी.

राव रंजीत, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

ई.

1. मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 270/2017 और 362/2017 में मदुरै में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को बरी करके उक्त अपीलों की अनुमति दी है-आई. पी. सी. की धारा 302 और 302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी, राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।2. कि यहाँ उत्तरदाताओं-मूल अभियुक्तों पर मृतक सरवनन की हत्या/हत्या करने के लिए उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। यह अभियोजन पक्ष का मामला था जो अभियुक्त के मित्र के बीच दुश्मनी के कारण था।, सेल्वाकुमार और एक पेरियावन @मुरुगन, 31.07.2013 पर सेल्वाकुमार की हत्या हुई थी। यह संदेह करते हुए कि मृतक सरवनन ने सेल्वाकुमार के ठिकाने की सूचना दी थी, आरोपी ने हथियारों से लैस एक दोपहिया वाहन पर सवार होकर उस कार को बाधित कर दिया जिसमें मृतक, पीडब्लू1 और एक अन्य थे।

एफ.

जी.

एच.

ए.

यात्रा करते हुए कार को टक्कर मार दी और कार के विंड स्क्रीन को अरूवल से तोड़ दिया।ए 1 से मृतक के दाहिने कंधे पर चोट लगी।मृतक सरवनन ने भागने की कोशिश की, हालांकि, आरोपी ने उसका पीछा किया और उसके बाद सभी अभियुक्तों ने मृतक को उस शेड में घायल कर दिया जिसमें मृतक पहुंच गया और चोटों के कारण मृतक सरवनन की मौके पर ही मौत हो गई।महेंद्रन नामक व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर जांच शुरू हुई।सभी आरोपी 02.08.2013/17.08.2013 पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास आए।जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने भौतिक साक्ष्य एकत्र किए और गवाहों के बयान भी दर्ज किए।जाँच के समापन के बाद, आरोपी के खिलाफ टी. एन. पी. पी. डी. एल. अधिनियम की धारा 341,506 (2), आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू 3 (1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था जिसे 2014 का सत्र मामला संख्या 254 के रूप में गिना गया था।सभी अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध विद्वान और इसलिए उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया।

बी.

सी.

2.1 मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों से पूछताछ की और 36 प्रदर्शनों और 16 भौतिक वस्तुओं को चिह्नित किया।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बंद होने के बाद, धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त के आगे के बयान दर्ज किए गए।मुकदमे के दौरान, पीडब्लू2, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।हालांकि, पीडब्लू1, पीडब्लू4 और पीडब्लू6 के अभिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए, विद्वत ट्रायल न्यायालय ने आरोपी ए 1 को आईपीसी की धारा 302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 302 और ए 2 और ए 3 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा विद्वान ई। 1, 000/- प्रत्येक, चूक में, तीन महीने का साधारण कारावास।

डी.

ई.

2.2 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को अपास्त करना दिया है और परिणामस्वरूप अभियुक्तों को उपरोक्त अपराधों के लिए बरी कर दिया है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को विवादित निर्णय के पैराग्राफ 9 में उल्लिखित कारणों से बरी कर दिया है, जो इस प्रकार हैः

एफ.

जी.

“9. ये अपीलें निम्नलिखित कारणों से सफल होती हैंः

(i) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना 01.30 शाम को, 31.07.2013 पर हुई थी और ए पर 01.45 शाम को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एच.

637

पुलिस निरीक्षक बनाम लाली @मणिकंदन और एक अन्य ई. टी. सी. के माध्यम से बताएँ। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

उसी दिन, महेंद्रन नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत पर।उक्त महेंद्रन की जांच नहीं की गई है।((ii) अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 6 तक की चश्मदीद गवाह के रूप में जांच की है।जबकि <ID1,3 और 5 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया है, पी. डब्ल्यू. 4 और 6 को ट्रायल न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।पी. डब्ल्यू. 4 को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बताया कि यह घटना दोपहर 2:30 बजे हुई और मृतक पी. डब्ल्यू. 2 के छप्पर वाले शेड के बाहर गिर गया।, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय है क्योंकि उसने 8 से 9 व्यक्तियों के हमले की बात कही है, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला तीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा आकर्षित करने वाला है।

बी.

सी.

(iii) अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत, पी. डब्ल्यू. 1 ने स्वीकार किया है कि घटना के 5 से 10 मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पर थी।पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 4 दोनों प्रस्तुत करेंगे कि सभी गवाहों के बयान घटनास्थल पर दर्ज किए गए थे और उनके हस्ताक्षर लिए गए थे।पी. डब्ल्यू. 1 विशेष रूप से बताएगा कि महेंद्रन, शिकायतकर्ता, महेंद्रन का बयान दर्ज करने पर; हस्ताक्षर प्राप्त किए गए और इसे पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा भी सत्यापित किया गया।मामले में शिकायत को चिह्नित नहीं किया गया है, हालांकि एक अनजाने में त्रुटि के रूप में, जैसा कि हम रिकॉर्ड के अवलोकन से पाते हैं, कि प्राथमिकी को सामने की ओर Ex.P.20 के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि पीछे की ओर Ex.21 के रूप में चिह्नित किया गया है और शिकायत को उसमें संलग्न पाया गया है।इस बारे में संदेह पैदा होता है कि क्या Ex.P.20 के रूप में चिह्नित प्राथमिकी और उसके साथ संलग्न शिकायत मूल संस्करण को सूचित करती है क्योंकि न केवल शिकायतकर्ता की जांच नहीं की गई है, बल्कि यह अभियोजन पक्ष के गवाहों का संस्करण है कि शिकायत घटनास्थल पर दर्ज की गई थी।

डी.

ई.

एफ.

(iv) पी. डब्ल्यू. 20 पुलिस उपनिरीक्षक, जिन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज की है, पुलिस स्टेशन और न्यायालय के बीच की दूरी 7 किलोमीटर होने की सूचना देते हैं, एफ. आई. आर. घटनास्थल को पुलिस स्टेशन से ढाई किलोमीटर की दूरी होने की सूचना देती है।एफ. आई. आर. शाम 7 बजे ही मजिस्ट्रेट के पास पहुंची है। ऐसी परिस्थिति इसकी वास्तविकता पर संदेह पैदा करती है और यह सवाल उठाती है कि क्या घटना की उत्पत्ति दबा दी गई है।मृतक के खिलाफ आरोपी की दुर्भावना और उसकी हत्या की आवश्यकता को सूचित करने वाली एफ़. आई. आर. का विस्तृत विवरण इस तरह के संदेह को और बढ़ावा देता है, तथ्य यह है कि कॉन्स्टेबल को एफ़. आई. आर. सौंपने का काम सौंपा गया था।

जी.

एच.

मजिस्ट्रेट से पूछताछ नहीं की गई है जो अभियोजन पक्ष के लिए मामले को बदतर बनाती है।

(v) पीडब्लू 1 ने घटना के अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में आरोपी से मिलने की बात की है।, 01.08.2013 पर, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अल और ए 3 को 02.08.2013 पर और ए 2 को 17.08.2013 पर गिरफ्तार किया गया था।

बी.

(vi) अभियोजन पक्ष के अनुसार, सभी अभियुक्तों से अपराधों की वसूली की गई है।पी. डब्ल्यू. 1 क्रॉस में, यह बताएगा कि अरुवल उनके द्वारा सौंपे गए थे अर्थात।, अभियोजन पक्ष पुलिस को।

सी.

(vii) खून के धब्बों को बरामद किया गया है।पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, लेकिन मृतक के रक्त समूह का पता नहीं चल पाया है।Ex.P.16 मृतक द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और अरुवल पर खून के धब्बों की उपस्थिति की सूचना देगा।जाँच अधिकारी P.W.21 द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार रक्त समूह को सहसंबंधित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

डी.

ऊपर उल्लिखित गंभीर खामियों को देखते हुए, हम न्यायालय को 161 (3) Cr.P.C बयानों के विलंबित प्रेषण पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते हैं।"

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी करने के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

ई.

3. डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस, विद्वान अधिवक्ता राज्य की ओर से पेश हुए हैं और श्री राव रंजीत, विद्वान अधिवक्ता आरोपी की ओर से पेश हुए हैं।

एफ.

3.1 राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 और 302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को रद्द और रद्द करके अभियुक्त को बरी करने में गंभीर त्रुटि की है।

जी.

3.2 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने संबंधित गवाहों से पूछताछ करके आरोपी के खिलाफ मामले को पूरी तरह से साबित कर दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 घटना की घटना का चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

एच.

639

पुलिस निरीक्षक बनाम लाली @मणिकंदन और एक अन्य ई. टी. सी. के माध्यम से बताएँ। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह घटना दो भागों में हुई थी।पहला हिस्सा उस समय था जब मृतक, पीडब्लू1 और एक अन्य कार में यात्रा कर रहे थे, जहां ए 1 ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुंचाई और उसके बाद दूसरा हिस्सा था जब आरोपी ने मृतक का पीछा किया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था और शेड में पहुंच गया और तीनों आरोपी शेड में घुस गए, मृतक को चोट पहुंचाई और उसके बाद वे शेड से बाहर आ गए और भाग गए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों स्थानों पर पीडब्लू1 मौजूद था और उसने दोनों स्थानों पर घटना को देखा था।यह

प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमें पीडब्लू1 के अभिसाक्ष्य पर ले जाया है।

बी.

सी.

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णय पर भरोसा करना

कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य, (2002) 6 के मामले में इस न्यायालय का

एस. सी. सी. 81 (पैरा 35), यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों और रद्द करने की अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करना दिया जाए और आई. पी. सी. की धारा 302 और 302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बहाल विद्वान जाए।

डी.

4. मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

4.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करते समय ठोस कारण दिए हैं।

ई.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा चश्मदीद गवाह के रूप में जांचे गए छह गवाहों में से तीन गवाहों-पीडब्लू2, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि पीडब्लू4 को उसके अभिसाक्ष्य और अभियोजन पक्ष के मामले में भौतिक विरोधाभासों के कारण विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा भी अविश्वास विद्वान गया है।

एफ.

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, महेंद्रन जिसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी और जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसकी जांच नहीं की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अन्य स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे, लेकिन उनमें से किसी से भी अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एकमात्र गवाह पर भरोसा करना-पीडब्लू1 अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।
4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 और अन्य गवाहों के अभिसाक्ष्य में भी चोटों के बारे में भौतिक विरोधाभास हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक घटना के दूसरे भाग का संबंध है, वही शेड में हुआ और यहाँ तक कि

जी.

एच.

640

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

पीडब्लू1 के अनुसार, वह शेड के बाहर था और उसने आरोपी को मृतक को चोट पहुँचाते नहीं देखा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभि. साक्षी1 को विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह नहीं कहा जा सकता है और इसलिए अभियुक्त को अभि. साक्षी1 के एकमात्र अभिसाक्ष्य पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 4.5 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हथियार की बरामदगी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है।

बी.

4.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णय पर भरोसा करना

कुंजू मुहम्मद बनाम केरल राज्य के मामले में इस न्यायालय का,

(2004) 9 एस**.** सी**.** सी**. 193 (**पैरा **9** और **10) ,** घटना के समय और स्थान पर**,** वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

सी.

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।हमने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का विस्तार से अध्ययन विद्वान है।हम पी. डब्ल्यू. 1 के अभिसाक्ष्य को विस्तार से देख चुके हैं, जिसे एक सितारा गवाह और चश्मदीद गवाह कहा जा सकता है।

डी.

6. पीडब्लू1 के पूरे अभिसाक्ष्य को देखने के बाद, यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू1 दोनों स्थानों पर घटना का चश्मदीद गवाह है।जब पहली बार, आरोपी ने उस समय हमला किया जब मृतक कार में यात्रा कर रहा था, तो पीडब्लू1 कार में मौजूद था।उस समय, आरोपी ने कार को टक्कर मार दी और विंड स्क्रीन तोड़ दी और ए 1 ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुंचाई।इसके बाद मृतक ने भागने की कोशिश की और वह शेड में पहुंच गया और उस समय सभी आरोपी मृतक का पीछा करते हुए शेड में चले गए, मृतक को घायल कर दिया और फिर शेड से बाहर आ

गए और भाग गए।पीडब्लू1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने तीनों अभियुक्तों को शेड में प्रवेश करते देखा था और उसके बाद वे बाहर आ गए और मृतक चोटों के साथ लेटा हुआ था और वह मृत पाया गया।अभियुक्त की ओर से पीडब्लू1 से पूरी तरह से जिरह की गई है।हालाँकि, पूरी तरह से जिरह के बाद भी, पीडब्लू1 ने जो कहा है, उस पर कायम रहा और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।हम पी. डब्ल्यू. 1 की विश्वसनीयता पर अविश्वास करने और/या संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

ई.

एफ.

जी.

7. अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि मूल सूचना देने वाले के रूप में-महेंद्रन से पूछताछ नहीं की गई है और अन्य स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है और हथियार की बरामदगी साबित नहीं हुई है और घटना के समय और स्थान के बारे में गंभीर संदेह है, अभियुक्तों को बरी नहीं किया जा सकता है।केवल इसलिए कि मूल शिकायतकर्ता ए नहीं है

एच.

641

पुलिस निरीक्षक बनाम लाली @मणिकंदन और एक अन्य ई. टी. सी. के माध्यम से बताएँ।
[एम. आर. शाह, जे.]

जाँच पी. डब्ल्यू. 1 के अभिसाक्ष्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकता है।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, पीडब्लू1 दोनों स्थानों पर हुई घटना का चश्मदीद गवाह है।इसी तरह, यह मानते हुए कि उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी स्थापित या साबित नहीं हुई है, अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है जब चश्मदीद गवाह का सीधा सबूत हो।अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है।यदि चश्मदीद गवाह के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य है, तो हथियार की बरामदगी के अभाव में भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।इसी तरह, एफ. आई. आर./शिकायत दर्ज करने के समय के संबंध में कुछ विरोधाभासों के मामले में भी अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है, जब अभियोजन पक्ष का मामला चश्मदीद गवाह के अभिसाक्ष्य पर आधारित हो।

बी.

सी.

8. जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, पीडब्लू1 एक चश्मदीद गवाह है।उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।कानून की स्थिर स्थिति के अनुसार, एकमात्र चश्मदीद गवाह के

अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, यदि उक्त गवाह विश्वसनीय और/या विश्वसनीय पाया जाता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, पीडब्लू1 की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।इसलिए, पीडब्लू1 के अभिसाक्ष्य के एकमात्र आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित होगा।

डी.

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 9 में उल्लिखित कारणों से आरोपी को बरी करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अपास्त करनाने के योग्य है। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा302 और धारा302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराधों के लिए बरी करने के विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है और आई. पी. सी. की धारा302 और धारा302 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल विद्वान जाता है।अब अभियुक्त को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी विद्वान सजा भुगतने के लिए संबंधित जेल अधिकारियों/संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।यदि अभियुक्त ऊपर निर्धारित समय के साथ आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो संबंधित पुलिस अधीक्षक/न्यायालय को सजा काटने के लिए अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

ई.

एफ.

जी.

10. वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.